मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—
दिनांकः16.03.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या से सम्बन्धित अपराध में आरोपी को करायी गयी आजीवन कारावास एवं ₹ 10,000/-के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना पड़री पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सत्र न्यायाधीश मीरजापुर(अनमोल पाल) द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बंधित दोषसिद्ध अभियुक्त को आज दिनांकः16.03.2024 को दण्डित करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹ 10,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांकः02.05.2012 को थाना पड़री पर वादिनी लालती देवी पत्नी बल्लू पाल निवासिनी नकटी मिश्रौली(सातो बिगहा) थाना पड़री जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी के पति बल्लू पाल को बकरी के लेन-देन के विवाद को लेकर लाठी की सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया गया तथा इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गए जहां बल्लू पाल की मृत्यु हो गई, के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0 311/2012 धारा 304 भादवि(वैकल्पिक आरोप 302/34 भादवि) पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना पड़री पुलिस एवं मॉनिटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक उपनिरीक्षक-महावीर प्रसाद द्विवेदी, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी-धर्मेन्द्र कुमार तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी-जयकृष्ण यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय सत्र न्यायाधीश,मीरजापुर(अनमोल पाल) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त-बंशी पाल पुत्र घुरहू पाल निवासी नकटी मिश्रौली(सातो बिगहा) थाना पड़री जनपद मीरजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा मुंशी पाल को दोषमुक्त किया गया है।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

बंशी पाल पुत्र घुरहू पाल निवासी नकटी मिश्रौली(सातो बिगहा) थाना पड़री जनपद मीरजापुर।।